

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।

बहराईव-गोडा मार्ग एन0एच0-30 मार्ग के के सुदृढीकरण में गोंडा वन प्रभाग, में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 32.0352 हे० के दोगुने 64.0704 हे०, अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक अवनत वन भूमि के बावत उपयुक्तता प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कैमूर वन्य जीव प्रभाग के राबर्ट्सगंज एवं हलिया रेंज के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सकल क्षेत्रफल-105.00 हे० शुद्ध क्षेत्रफल- 65.00 हे० क्रमशः डोमखरी क०न०-1 में सकल क्षेत्रफल- 25.00 हे० शुद्ध क्षेत्रफल- 10.00 हे०, हरी क०न०-1 में सकल क्षेत्रफल- 26.00 हे० शुद्ध क्षेत्रफल-20.00 हे०, हरी क०न०-3 में सकल क्षेत्रफल-27.00 हे० शुद्ध क्षेत्रफल-20.00 हे० एवं हरी क०न०-3 में सकल क्षेत्रफल-27.00 हे० शुद्ध क्षेत्रफल-15.00 हे० चिन्हित अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी है जो वर्तमान में विवाद रहित एवं अतिक्रमण मुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज

(आशुतोष रायसवाल)
प्रभारित वन अधिकारी
कैमूर वन्यजीव प्रभाग, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
राबर्ट्सगंज रेंज
कैमूर वन जीव प्रभाग

C.S.

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर